

नवल दाय प्रतिकावित

न्यायालय परगनाधिकारी, पूरनपुर।

वाद संख्या-टी201512560 397
ग्राम-वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा
करनजीत सिंह

वनाम

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अधिनियम
परगना व तहसील पूरनपुर।
सरकार।

-: आदेश :-

प्रश्नगत वाद वादी श्री करनजीत सिंह पुत्र श्री वलविन्दर सिंह निवासी ग्राम-ग्राम-वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा परगना व तहसील पीलीभीत ने इस आशय का योजित किया है, कि ग्राम-वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित भूमि खाता संख्या-251 गाटा संख्या-95 क्षेत्रफल-0.765हे0 के 1/2 भाग में से 0.315हे0 लगान-08.00 रूपये व खाता संख्या-105 गाटा संख्या-96 क्षेत्रफल-0.705हे0 लगान-17.40 रूपये पर माता जसवन्त कौर डिग्री कालेज वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित कर लगान मुक्त किया जाना अति आवश्यक है। अतः उक्त भूखण्ड गाटा संख्या-95 क्षेत्रफल-0.765हे0 के 1/2 भाग में से 0.315हे0 लगान-08.00 रूपये व गाटा संख्या-96 क्षेत्रफल-0.705हे0 लगान-17.40 रूपये भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

तहसीलदार पूरनपुर ने अपनी आख्या दिनांक-22.05.2015 में अवगत कराया है, कि ग्राम-वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित भूमि गाटा संख्या-95 क्षेत्रफल-0.765हे0 के 1/2 भाग में से 0.315हे0 लगान-08.00 रूपये व खाता संख्या-105 गाटा संख्या-96 क्षेत्रफल-0.705हे0 लगान-17.40 रूपये सर्वजन सेवा न्यास द्वारा अध्यक्ष करनजीत सिंह पुत्र श्री वलविन्दर सिंह निवासी ग्राम-ग्राम-वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत व सचिव रामवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी-25 माँ वैष्णोपुरम नावादा खेतान पीलीभीत वाई पास रोड बरेली के नाम राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1क संकमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि न्यास को दानपत्र में प्राप्त हुयी है। उपरोक्त भूमि पर वर्तमान समय में कृषि, पशुपालन, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन का कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर डिग्री कालेज भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। विवादित भूमि जो0 च0 आकार पत्र-45 में खातेदार श्री नोखे लाल व बाबूराम पुत्र श्री कंदार के नाम दर्ज है। अतः उक्त भूखण्ड गाटा संख्या-95 क्षेत्रफल-0.765हे0 में से 0.315हे0 लगान-08.00 रूपये व गाटा संख्या-96 क्षेत्रफल-0.705हे0 लगान-17.40 रूपये को धारा 143 ज0वि0एवंभू0व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

तहसीलदार पूरनपुर की जाँच आख्या एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम-वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित भूमि गाटा संख्या-95 क्षेत्रफल-0.765हे0 में से 0.315हे0 लगान-08.00 रूपये व खाता संख्या-105 गाटा संख्या-96 क्षेत्रफल-0.705हे0 लगान-17.40 रूपये सर्वजन सेवा न्यास द्वारा अध्यक्ष करनजीत सिंह पुत्र श्री वलविन्दर सिंह निवासी ग्राम-वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत व सचिव रामवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी-25 माँ वैष्णोपुरम नावादा खेतान पीलीभीत वाई पास रोड बरेली के नाम राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1क संकमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि न्यास को दानपत्र में प्राप्त हुयी है। उपरोक्त भूमि पर वर्तमान समय में कृषि, पशुपालन, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन का कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर डिग्री कालेज भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। विवादित भूमि जो0 च0 आकार पत्र-45 में खातेदार श्री नोखे लाल व बाबूराम पुत्र श्री कंदार के नाम दर्ज है। अतः उक्त भूखण्ड गाटा संख्या-95 क्षेत्रफल-0.765हे0 में से 0.315हे0 लगान-08.00 रूपये व गाटा संख्या-96 क्षेत्रफल-0.705हे0 लगान-17.40 रूपये को धारा 143 ज0वि0एवंभू0व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने की संस्तुति की गयी है। अतः उक्त भूखण्ड गाटा संख्या-95 क्षेत्रफल-0.765हे0 में से 0.315हे0 लगान-08.00 रूपये व गाटा संख्या-96 क्षेत्रफल-0.705हे0 लगान-17.40 रूपये को धारा-143 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार पूरनपुर की जाँच आख्या एवं संस्तुति दिनांक-22.05.2015 के आधार पर ग्राम-वीरखेड़ा ता0 माधौटांडा परगना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित भूमि गाटा संख्या-95 क्षेत्रफल-0.765हे0 में से 0.315हे0 लगान-08.00 रूपये व गाटा संख्या-96 क्षेत्रफल-0.705हे0 लगान-17.40 रूपये को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। भविष्य में यदि इस भूमि को पुनः कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तहसीलदार पूरनपुर की जाँच आख्या संस्तुति/आदेश का अंग रहेगी। आदेश की प्रति उक्त निवन्धक/तहसीलदार पूरनपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक:मई 27, 2015

803/2015

(ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह)
परगनाधिकारी,
पूरनपुर।

P.T. 0. 2. 1



467/-



नवल प्रतिनिधि
दिनांक 27.05.15